न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ......२. तौराम ......बनाम...... प्रतापसिंह ......
किस्म मुकदमा......212 RT Act...... मु0नं0 ...... 14 ......सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.01.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 12.02.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ0ख0नं0 1385/1/0.2100, 1903/0.2100, 1904/0.2400 है0 वाके ग्राम कान्हडका तह0 कोटकासिम जिला अलवर के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आराजी वादी मे प्रति0 किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत पेदा ना करे, प्रार्थी को आराजी जोतने फसल बोने काटने समेटने मे किसी प्रकार से रूकावट बाधा पेदा ना करे, विवादित आराजी के किसी भी जुज मे कोई नींव आदि खोद कर कोई कच्चा पक्का निर्माण ना करे, मौका की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 12.02.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
01/02/21	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना [illegible] स्थगन [illegible] किया है [illegible] स्थगित किया जाता है [illegible] अमर से [illegible] पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

२. तौराम
I d [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:23:06 IST
Reason: SelfAttested